संख्या 1650/चौवालिस-2-94-27/94

प्रेषक,

श्री ब्रजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों
के प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 94

विषयः– सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के पुनर्गठन/निजीकरण आदि के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 864, चौवालिस-2-1994, दिनांक 1 जून, 1994 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निजीकरण के सम्बन्ध में कुछ मानक निर्धारित किये गये हैं। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना है कि सम्पूर्ण निजीकरण के विकल्प के रूप में, जहां ऐसा सम्भव न हों, वहां पर संयुक्त क्षेत्र में प्रबन्धकीय व्यवस्था किये जाने पर भी विचार कर लिया जाय।

भवदीय,
[ब्रजेन्द्र सहाय]
मुख्य सचिव।

संख्याः– 1650 (1)/चौवालिस-2/94, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।
(2) प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
[आर०एस० निगम]
विशेष सचिव।